



## अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN - U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर

दूरभाष - 0145-2644501, फेक्स - 0145-2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय)/अधी.अ.(वा.)/अ.अ.-II/2017-18/प्रे 1082 दि: 4-7-17


### आदेश

**विषय:-** ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में घरेलु कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्रों में छितराये हुये आवासों को कनेक्शन दिये जाने हेतु वाणिज्य आदेश संख्या-669 दिनांक 31.05.2017 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। जिसके अन्तर्गत 11 केवी लाईन का विस्तार कर के उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाकर ट्रांसफार्मर से 100 मीटर की परिधि में स्थित आवासों को 3 या अधिक के समूह में कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

इसी क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में जारी वाणिज्य आदेश संख्या-650 दिनांक 06.02.2017 के तहत यदि कोई आवेदित स्थल स्थापित एलटी लाईन से 100 मीटर की दूरी तक स्थित हो तो स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर (यदि आवश्यक हो) कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान वर्तमान में भी लागू है एवं साध्य होने पर उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार कनेक्शन दिये जा सकते हैं।

आज्ञा से

  
5.7.17

(एस. एस. मीना)

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
अविविनिलि, अजमेर